comments had been sought on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) has conveyed its views on the appropriate level of minimum support prices of mustard for the 1986-87 crop. It would not be appropriate to comment on the newspaper report that the support price suggested by the Government of Punjab is much higher than that recommended by the CACP as the Commission's report in this regard is still confidential.

(b) No, Sir. A number of initiatives taken by the Government for raising production and attaining self-sufficiency in oilseeds have yielded positive results. These efforts include investments on Research and Development and the National Dairy Development Board's Project for production and marketing of edible oils and oilseeds with the aid of funds generated from the sale of gift oil received through CLUSA and CIDA. Thus, for instance a number of improved varieties of groundnut rapeseed - mustard, linseed, sesomum and sunflower seed, capable of boosting oilseeds production substantially, have been developed. As a result, between 1980-81 and 1984-85 the average yield of the major cultivated oilseed increased from 532 to 684 kgs per hectare and total production from 93.7 to 129.5 lakh tonnes.

(c) It is a continuing policy of the Government to fix procurement/support prices for important agricultural commodities including wheat, rice, sugarcane and cotton, at remunerative levels so as to encourage farmers to increase production consistent with an efficient farming system.

Allotment of Commercial Space etc. to SC/ST

1184. SHRI T.K.C. VADIVELU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any provision for reservation in the rules for the allotment of commercial space, shops and offices etc. built by Delhi Development Authority to the members of scheduled castes and scheduled Tribes and if so, what is the percentage prescribed therefor; and

(b) if not, whether Government propose to provide for reservation in the allotment of commercial space, shops and offices for Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) There is a reservation of 25 per cent of shops, stalls, kiosks constructed by the DDA for the members of SC/ST.

1185. [*Transferred to the 24th November*, 1986].

गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति

1186. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में गंदी बस्तियों में रहने वाले कितने व्यक्तियों को शरण-स्थल प्रदान किये है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सरकार की विद्यमान नीति में शहरी बस्तियों का स्थल से उन्हें उजाड़ने या पुनः बसाने की अपेक्षा बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर अधिक बल दिया गया है। शहरी मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत पता लगाई गई मलिन बस्तियों में पेय जल पूर्ति विद्यमान वीथियों तथा मार्गों पर खड़ंजे बिछाना, मल निर्यास (सीवर) बरसाती पानी की नालियों, गलियों में प्रकाश व्यवस्था तथा सामुदायिक स्नानागार एवं शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

कृषि भूमि पर मकानों का निर्माण

1187. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार गत कई वर्षों से राजधानी में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने और विशेष रूप से अधिग्रहण की गई कृषि भूमि पर बनाये गये प्लाटों

पर मकानों के निर्माण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या ऐसे अवैध निर्माण के नगर के हरियाले क्षेत्रातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में और विशेष रूप से बहरी दल्ल के संबंध में उठाये जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर नियंत्रण करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) सभी सम्बन्धितों को यह निर्देश जारी किया गया था कि सावजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण को प्रारम्भ में ही रोका जाना चाहिये तथा इसे स्थाई बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जबकि उन्हे हटाना कठिन हो जाता है ।

(ii) अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करने और सिविल न्यायालयों क क्षेत्राधिकार से बाहर दिल्ली में मकान गिराने के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपिलीय अधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911, (जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू है) तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों को बेदखली। अधिनियम 1971 में मई, 1984 में यह संशोधन किया गया था। इनको संज्ञेय अपराध घोषित करने सम्बन्धित प्रावधानों को गत वर्ष लागू किया गया था । अपिलीय अधिकरण के गठन से सम्बन्धित प्रावधानों को भी अब लागू कर दिया गया हैं (दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम के संबंध में 102.86 से और दिल्ली विकास अधिनियम के सम्बन्ध में 24.2.86 से)

(iii) गृह मंत्री ने 18.6.85 को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें अनधिकृत निर्माण की रोकथाम करने के लिए मार्ग निर्देशन निर्धारित किए गए थे तथा संबंधित संगठनों में नितान्त उच्च स्तर पर इस प्रयोजनार्थ उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्णय लिया था ।

(iv) अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाये है :—

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण के चलते-फिरते गिराऊ दस्ते द्वारा नये अतिक्रमणों को गिराया जा रहा है। 1-1-85 से 30-9-86 तक 17339 अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया ।

(2) भूमि की गैर-कानूनी बिक्री से सम्बन्धित विशेष कक्ष ने 3233 मामले दर्ज किये और 4038 को गिरफ्तार किया गया है ।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के तहत अभियोजन के लिये कार्यवाही आरम्भ की गई है ।

(4) नये अतिक्रमणों की रोकथाम करने के लिये उप राज्यपाल द्वारा थानाध्यक्षों को अनुदेश जारी किये है ।

(5) विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित फील्ड स्टाफ को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने के आदेश जारी किये गये है ।

अन्य स्थानीय निकायों और भूमि स्वामित्व वाले विभागों ने भी सूचित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अतिक्रमणों को हटाने के लिये कार्रवाई करते रहे हैं ।

(ख) जी, हां । एक यथेष्ट सीमा तक

(ग) यह सूचित किया गया है कि दिल्ली में जिला पार्कों और कृषि हरित पट्टी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनधिकृत कालोनियां स्थापित की गई है। ऐसी 53 अनधिकृत कालोनियों का नियमन 30.6.77 और 16.2.77 तक निर्मित क्रमशः रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाओं सहित दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिये सरकार के निर्णय के अनुसार किया गया है। उसी समय कानून के संशोधित उपबन्धों का प्रयोग करते हुए अनधिकृत निर्माण से सख्ती से निपटने के लिये भी अनुदेश जारी किये गये हैं।

National Commission for drought prone areas

1188. SHRI SURAJ PRASAD:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Government of Gujarat has suggested for appointment of a National Commission for Drought Prone Areas in view of the recurring drought in the country; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) and (b) In the Conference of State Ministers incharge of Rural Development held in New Delhi on 24th October, 1986, Minister of Rural Development, Gujarat, suggested that a National Commission should be set up to carry out an indepth analysis of the current strategy to assess the extent to which the goal of drought proofing has been achieved. He observed that new initiatives and corrective measures might be called for to save vast tracts of drought prone areas from ravages of nature.

The present design and content of Drought Prone Areas Programme (DPAP) is based on the recommendations made by the Task Force in its report submitted in 1982. The present coverage of the Programme is based on the criteria laid down, and recommendations made by the Task Force, as modified by the Inter-departmental Group in 1984 and has been given effect to from 1985-86. Allocation of funds for DPAP under the Seventh Plan has been made keeping in view the strategy laid down in the above reports. It is not considered desirable to make any change in the Programme design, content and coverage during the course of the Seventh Five Year Plan.

The Central Government do not, therefore, consider it necessary to set up any National Commission, as suggested by the Minister incharge of Rural Development, Gujarat.

Jhuggies in different parts of the country

1189. SHRI N. E. BALARAM:
SHRI SURAJ PRASAD:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the last three years an increased number of jhuggies have come up in different parts of Delhi;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether there is any authority to check such mushrooming of jhuggies in Delhi; and

(d) if so, what are the details thereof and what action has been taken against the persons responsible for neglect of duty in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) No detailed survey has been carried out in this regard but, according to the reports received from DDA Local Bodies and land-owning Departments/Agencies, there has been no marked increase in the number of jhuggies in different parts of Delhi during the last three years.